राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2965/2024

दीनदयाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुश सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.05.2025
आदेश की दिनांक : 16.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कन्हेया लाल, प्रभारी अधिकारी
समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी दिनांक 12.4.2023 के निलंबन आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत उसे निलंबित किया गया था और अपीलार्थी द्वारा 16.11.2023 और 8.5.2024 को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर निर्णय नहीं लिया गया है, जिसमें सीसीए नियमों के साथ–साथ 22.3.2023 के परिपत्र के आधार पर निलंबन आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। (अनुलग्नक–1,2 एवं 3) अपीलार्थी को प्रारंभ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा बाद में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत किया गया तथा अंत में वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया गया तथा जब वह राजकीय अस्पताल बूंदी में वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत था, तब अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर संख्या 146/22, उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया गया तथा अभियोजन स्वीकृति 17.3.2023 को जारी की गई तथा अभियोजन स्वीकृति जारी होने के आधार पर उसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 (इसके बाद संक्षेप में सीसीए नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 13 के अंतर्गत आदेश दिनांक 12.4.2023 द्वारा निलंबित किया गया तथा अपीलार्थी का मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयुपर में निर्धारित किया गया। अपीलार्थी के खिलाफ विशेष रूप से आवाज रिकॉर्डिंग की मांग के

आधार पर 27.4.2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को निलंबन किए एक वर्ष और पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अजय चौधरी और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और कार्मिक विभाग द्वारा 22.3.2023 को जारी परिपत्र के अनुसार निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया है। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने परिपत्र के आधार पर 16.11.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि उसे डीओपी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार बहाल किया जाए और जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अपीलार्थी ने 8.5.2024 को फिर से अभ्यावेदन दायर किया। (अनुलग्नक–2 व 3) संबंधित अधिकारियों द्वारा परिपत्र दिनांक 22.3.2023 के अनुसार अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी को सी.सी.ए. नियमों के अनुसार उचित निर्वाह भत्ता भी नहीं मिल रहा है तथा उसे मार्च 2024 तक भी वेतन का 75 प्रतिशत निर्वाह भत्ते के रूप में नहीं मिल रहा है। उसे निर्वाह भत्ता रु. 1,01,850/– मिल रहा था तथा मार्च 2024 के पश्चात उसे सी.सी.ए. नियमों तथा परिपत्र के प्रावधानों के विपरीत रु. 88,500/– कर दिया गया तथा इस आधार पर निलंबन भी अवैध है। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिएज जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 12.4.2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर निरंतर कार्यरत रखे जाने के भी निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 146/2022 के अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित अधिनियम 2018) में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2023 से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया। आदेश दिनांक 17.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। अपीलार्थी द्वारा निलंबन से बहाल किये जाने हेतु 2 अभ्यावेदन दिनांक 16.11.2023 एवं दिनांक 08.05.2024 को कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये 3 जिसके कम में दिनांक 11.09.2024 को आयोजित पुनरावलोकन समिति की बैठक में विचार–विमर्श कर अपीलार्थी के विरुद्ध गंभीर आरोप होने के मद्देनजर सर्वसम्मति से अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल नहीं किये जाने की अभिशंषा की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से पंजीबद्ध अपराध संख्या 146/2022 अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित अधिनियम 2018) में दण्डनीय अपराध के लिए प्राप्त अभियोजन प्रस्तावों का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने तथा अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के उपरांत आदेश

दिनांक 17.03.2023 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। अजय कुमार चौधरी व अन्य बनाम भारत संघ के मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रतिपादित व्यवस्था विभागीय जांच कार्यवाहियों के मामलों में प्रासंगिक है जबकि अपीलार्थी को आपराधिक न्यायिक कार्यवाही अन्वेषणाधीन/विचारण में होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–13 (1) (बी) के तहत निलम्बित किया गया है। कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के आदेश दिनांक 06.11.2023 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) के परन्तुक (1) के अन्तर्गत अपीलार्थी को पूर्व में दिये जा रहे निर्वाह भत्ते में पचास प्रतिशत की वृद्धि निलम्बन की तिथि से छः माह के पश्चात् की तिथि से करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश दिनांक 12.04.2023 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को एसीबी प्रकरण के कारण निलंबित किया गया है, ऐसे प्रकरणों में विभागीय जांच किए जाने की आवश्यकता सामान्यता नहीं रहती है। अतः अपीलार्थी का यह कथन मान्य योग्य नहीं है कि उसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे प्रकरणों के संबंध में प्रत्यर्थी कार्मिक विभाग द्वारा 22.03.2023 द्वारा परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश करने की दशा में निलंबन से बहाली हेतु इस प्रयोजनार्थ गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु निर्देश किया गया है। अतः इस प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के निलंबन से बहाली किए जाने हेतु प्रकरण के समस्त तथ्यों से कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष आदेश से एक माह की अवधि में रखा जावे और पुनर्विलोकन समिति द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जावे एवं निर्णय से 2 माह की अपीलार्थी को निलंबन से बहाल किए जाने के संबंध में नियमानुसार समुचित निर्णय लिया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष